जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा. / व.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2022 / डी-859 दिनांकः- 06/6/2022

श्री विवेक चतुर्वेदी,
पार्टनर,
विराट मुरली इन्फ्रा एल.एल.पी.,
वैभव कॉम्पलैक्स, ऑफिस नम्बर 516,
पांचवी मंजिल, वैशाली नगर, जयपुर।

विषयः— खसरा नम्बर 183/329, 231, 233, ग्राम कनकपुरा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2020 के संदर्भ में खसरा नम्बर 183/329, 231, 233, ग्राम कनकपुरा, जयपुर में स्थित भूखण्ड़ (7744.80 वर्गमीटर) पर प्रस्तावित 0.50 मीटर (प्लिन्थ) + 44.49 मीटर ऊँचाई के ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये जिन्हें भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 250वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ निर्माण स्वीकृति दी जाती हैः—

1. यह भवन निर्माण अवधि दिनांक 25.12.2025 (दिनांक 18.02.2020 को जारी मानचित्रानुसार) तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कर्न्जेवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-07 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
10. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
11. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

12. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
13. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
14. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
15. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
20. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
21. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
22. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
23. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
24. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
25. परियोजना यदि रेरा में पंजीकृत करने योग्य हैं तो राजस्थान रियल एस्टेट (डवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट एवं रूल्स 2017 से संबंधित नियमों की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित की जावेंगी।
26. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
27. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता व अधिवास प्रमाण पत्र हेतु जविप्रा में आवेदन किया जाना आवश्यक हैं। अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जविप्रा में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

30. प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. की एवज में विकासकर्ता द्वारा निम्न Split Location स्थान पर ई. डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवास प्रस्तावित किये गये है:–

क्र.सं.	Split Location	आवासों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड़ बी (पार्ट बी), ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर।	15 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 36 एल.आई.जी. आवास	452.85 व.मी. 1769.62 व.मी.
	कुल ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवास	51 ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवास	2222.47 वर्गमीटर

विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. की एवज में Split location पर प्रस्तावित किये गये कुल 51 ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवासों का निर्माण परियोजना के प्रथम बार दिनांक 18.02.2020 को जारी भवन मानचित्र की दिनांक से नियमानुसार 30 माह अर्थात दिनांक 17.08.2022 तक की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।

31. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं तीन उत्तर दिनांकित चैक नम्बर 461823 दिनांक 09.11.2022, चैक नम्बर 461824 दिनांक 09.05.2023 एवं चैक नम्बर 461825 दिनांक 09.11.2023 क्रमशः राशि रूपये 47,85,550 / –के आधार पर दी जा रही हैं। यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी।
32. प्रस्तुत बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक एस.एम.ई. शाखा, चर्च रोड, जयपुर) नम्बर 3188322BG0000777 Dated 13.05.2022 की वैद्यता अवधि दिनांक 12.05.2024 & Claim Expiry Date 12.05.2025 तक हैं। आप द्वारा नियमानुसार बैंक गारन्टी को भवन अनुज्ञा अवधि तक रि–वैलिडेट करवा कर जविप्रा में प्रस्तुत करना होगा।
33. प्रस्तुत बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक एस.एम.ई. शाखा, चर्च रोड, जयपुर) नम्बर 3188322BG0000777 Dated 13.05.2022 का क्लेम अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात किया जावेंगा।
34. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (07 मानचित्र)

भवदीय,

06/06/2022

वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (07 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (07 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSIC Building, Udyog Bhavan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
4. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6() / उपा. रा (प्रथम) / जननि / 2019 / 18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
7. मुख्य प्रबन्धक एस.एम.ई. शाखा, चर्च रोड, जयपुर द्वारा जारी बैंक गारन्टी नम्बर 3188322BG0000777 Dated 13.05.2022 की वैद्यता अवधि दिनांक 12.05.2024 & Claim Expiry Date 12.05.2025 तक हैं। अतः जविप्रा से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही विकासकर्ता को बैंक गारन्टी लौटाई जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

इस परियोजना हेतू आवश्यक EWS/LIG के आवासों का प्रावधान स्प्लिट लोकेशन अनुकम्पा ग्रुप द्वारा निर्मित परियोजना "अनुकम्पा"द्वारिका खसरा न. 1407,1408,1413,1414 ग्राम.मुहाना, तह.सांगानेर जयपुर पर प्रस्तावित है। जो कि प्रस्तावित BAR (38602.57) वर्ग मी. का 5% अर्थात (1930.12) की एवज मे 2222.47 वर्ग मी. क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं।

S.NO.	Unit Type	Total Unit	Total Area (वर्ग मी.)
1	EWS	15	452.85
2	LIG	36	1769.62
	Total	51	2222.47

AREA STATEMENT

FLOOR	BLOCK	CUT OUT	G.B.U.A.	LIFT	FIRE STAIR	CLUB	COMM.	SERVICES	BAR
	A	B	C=(A-B)	D	E	F	G	H	(C-D-E)+F+G+H
2ND BASEMENT	2834.04	20.90	2813.14	28.93					0.00
1ST BASEMENT	6476.45	20.90	6455.55	28.93		386.20	0.00	84.58	470.78
GROUND	3076.33	29.60	3046.73	28.93	32.58	967.00	386.51	0.00	1353.51
1st FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
2nd FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
3rd FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
4th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
5th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
6th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
7th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
8th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
9th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
10th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
11th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
12th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
13th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
14th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
TERRACE	158.07		158.07						
TOTAL	51018.43	905.52	50112.91	491.81	488.70	1353.20	386.51	84.58	38602.57

AREA CALCULATION

NET PLOT AREA			7744.80	SQ.MT.
PER. B.A.R.	2.0+0.75 (EWS/LIG)		21298.20	SQ.MT.
CONSUMED B.A.R.		4.984	38602.57	SQ.MT.
GR. COVERAGE PER.		40%	3097.92	SQ.MT.
GR. COVERAGE ACHIEVED		38.92%	3014.15	SQ.MT.
GREEN AREA REQUIRED		20%	1548.96	SQ.MT.
GREEN AREA PROVIDED		21.03%	1628.80	SQ.MT.
ON GROUND		5.13%	397.47	SQ.MT.
ON PODIUM		15.90%	1231.33	SQ.MT.
CLUB		3.51%	1353.20	SQ.MT.
RETAIL COMMERCIAL		1.00%	386.51	SQ.MT.

PERMISSIBLE HT = 48 MTS.	
ACHIEVED HT. = 44.49 MTS + 0.50 (PLINTH)	

PARKING CALCULATION

	B.A.R.	REQ. E.C.U.		
TOTAL B.A.R.	38602.57			
COMMERCIAL B.A.R.	386.51	5.15		
RESIDENTIAL B.A.R.	38216.06	332.31		
TOTAL PARKING REQ.		337.47		
VISTORS PARRKING				
FOR 100 ECU	25%		25.00	E.C.U.
FOR 101 TO 200 ECU	20%		20.00	E.C.U.
FOR 201 TO 300 ECU	15%		15.00	E.C.U.
FOR 301 TO 400 ECU	10%		3.75	E.C.U.
TOTAL VISITORS PARKING REQ			63.75	E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING			401.21	E.C.U.
			402.00	E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING		75%	302.00	E.C.U.
		25%	100.00	E.C.U.
			300.00	SCOOTER
PROVIDED PARKING		CARS	SCOOTERS	
OPEN		37	0	
STILT FLOOR		42	61	
1st BASEMENT FLOOR		142	128	
PUZZLE PARKING		22		
2nd BASEMENT FLOOR		59	111	
TOTAL		302	300	402.00
				E.C.U.

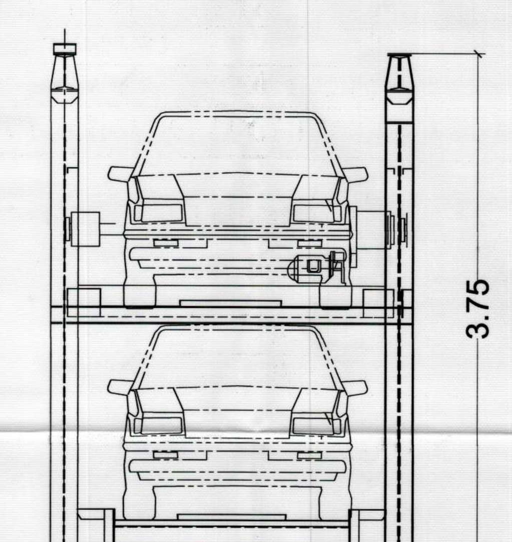

MECHANICAL CAR PARKING

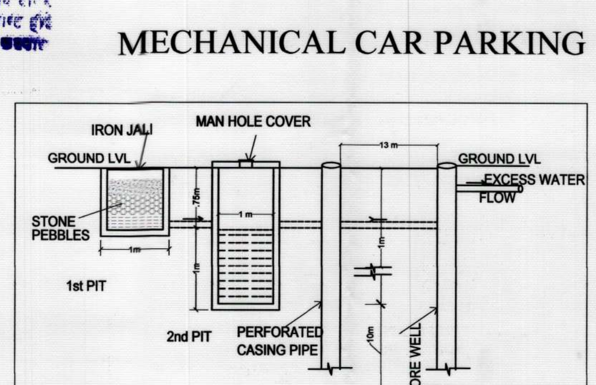

WATER HARVESTING DETAILS

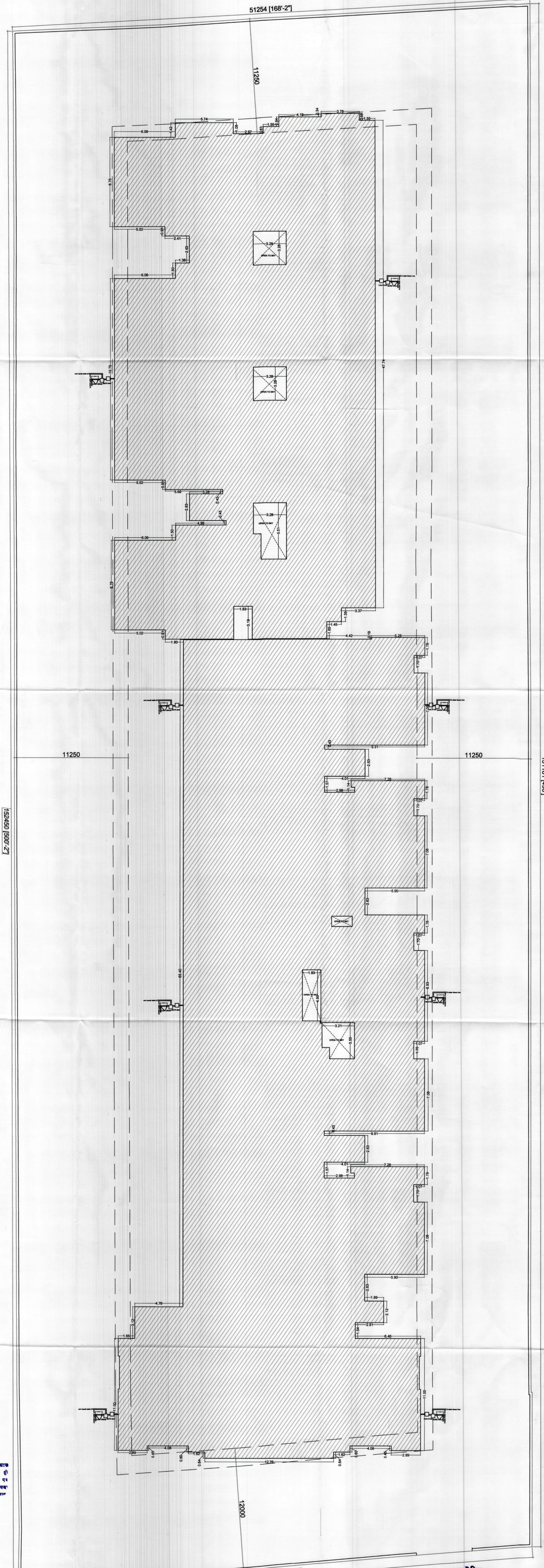

SECTOR ROAD 80'-0" WIDE

SHEET NO. - 1

TITLE:-
SITE PLAN

SITE PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 125

DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. - 2

TITLE:-
1ST BASEMENT FLR PLAN
&
2ND BASEMENT FLR PLAN

2ND BASEMENT FLR PLAN

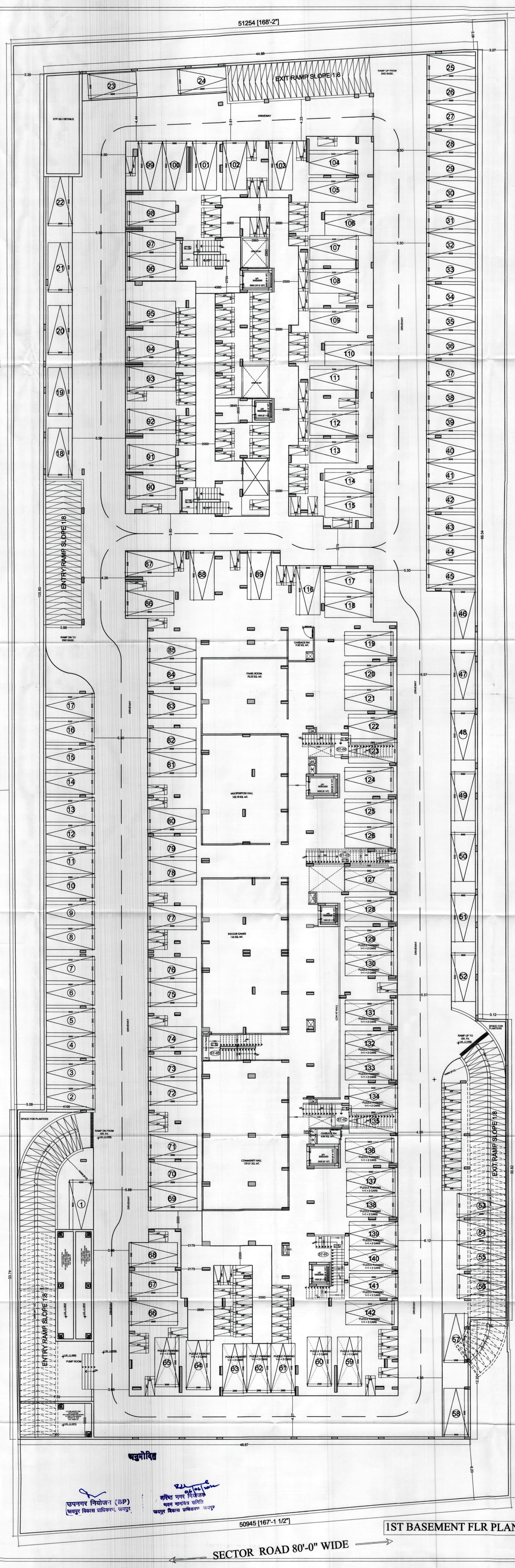

1ST BASEMENT FLR PLAN

SECTOR ROAD 80'-0" WIDE

1ST BASEMENT FLR PLAN
&
2ND BASEMENT FLR PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 125

DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 250 वीं
बैठक दिनांक 24/11/2021 में लिये गये निर्णय

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. - 1

TITLE:-
SITE PLAN

इस परियोजना हेतू आवश्यक EWS/LIG के आवासो का प्रावधान स्प्लिट लोकेशन अनुकम्पा ग्रुप द्वारा निर्मित परियोजना "अनुकम्पा"द्वारिका खसरा न. 1407,1408,1413,1414 ग्राम मुहाना, तह.सांगानेर जयपुर पर प्रस्तावित है। जो कि प्रस्तावित BAR (38602.57) वर्ग मी. का 5% अर्थात (1930.12) की एवज मे 2222.47 वर्ग मी. क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

S.NO.	Unit Type	Total Unit	Total Area (वर्ग मी.)
1	EWS	15	452.85
2	LIG	36	1769.62
	Total	51	2222.47

AREA STATEMENT

FLOOR	BLOCK	CUT OUT	G.B.U.A.	LIFT	FIRE STAIR	CLUB	COMM.	SERVICES	BAR
	A	B	C=(A-B)	D	E	F	G	H	(C-D-E)+F+G+H
2ND BASEMENT	2834.04	20.90	2813.14	28.93					0.00
1ST BASEMENT	6476.45	20.90	6455.55	28.93		386.20	0.00	84.58	470.78
GROUND	3076.33	29.60	3046.73	28.93	32.58	967.00	386.51	0.00	1353.51
1st FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
2nd FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
3rd FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
4th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
5th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
6th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
7th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
8th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
9th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
10th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
11th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
12th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
13th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
14th FLOOR	2748.11	59.58	2688.53	28.93	32.58	0.00	0.00	0.00	2627.02
TERRACE	158.07		158.07						
TOTAL	51018.43	905.52	50112.91	491.81	488.70	1353.20	386.51	84.58	38602.57

AREA CALCULATION

NET PLOT AREA			7744.80	SQ.MT.
PER. B.A.R.	2.0+0.75 (EWS/LIG)		21298.20	SQ.MT.
CONSUMED B.A.R.		4.984	38602.57	SQ.MT.
GR. COVERAGE PER.		40%	3097.92	SQ.MT.
GR. COVERAGE ACHIEVED		38.92%	3014.15	SQ.MT.
GREEN AREA REQUIRED		20%	1548.96	SQ.MT.
GREEN AREA PROVIDED		21.03%	1628.80	SQ.MT.
ON GROUND		5.13%	397.47	SQ.MT.
ON PODIUM		15.90%	1231.33	SQ.MT.
CLUB		3.51%	1353.20	SQ.MT.
RETAIL COMMERCIAL		1.00%	386.51	SQ.MT.

PERMISSIBLE HT = 48 MTS.	
ACHIEVED HT. = 44.49 MTS + 0.50 (PLINTH)	

PARKING CALCULATION

	B.A.R.	REQ. E.C.U.		
TOTAL B.A.R.	38602.57			
COMMERCIAL B.A.R.	386.51	5.15		
RESIDENTIAL B.A.R.	38216.06	332.31		
TOTAL PARKING REQ.		337.47		
VISTORS PARRKING				
FOR 100 ECU	25%		25.00	E.C.U.
FOR 101 TO 200 ECU	20%		20.00	E.C.U.
FOR 201 TO 300 ECU	15%		15.00	E.C.U.
FOR 301 TO 400 ECU	10%		3.75	E.C.U.
TOTAL VISITORS PARKING REQ			63.75	E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING			401.21	E.C.U.
			402.00	E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING		75%	302.00	E.C.U.
		25%	100.00	E.C.U.
			300.00	SCOOTER
PROVIDED PARKING		CARS	SCOOTERS	
OPEN		37	0	
STILT FLOOR		42	61	
1st BASEMENT FLOOR		142	128	
PUZZLE PARKING		22		
2nd BASEMENT FLOOR		59	111	
TOTAL		302	300	402.00 E.C.U.

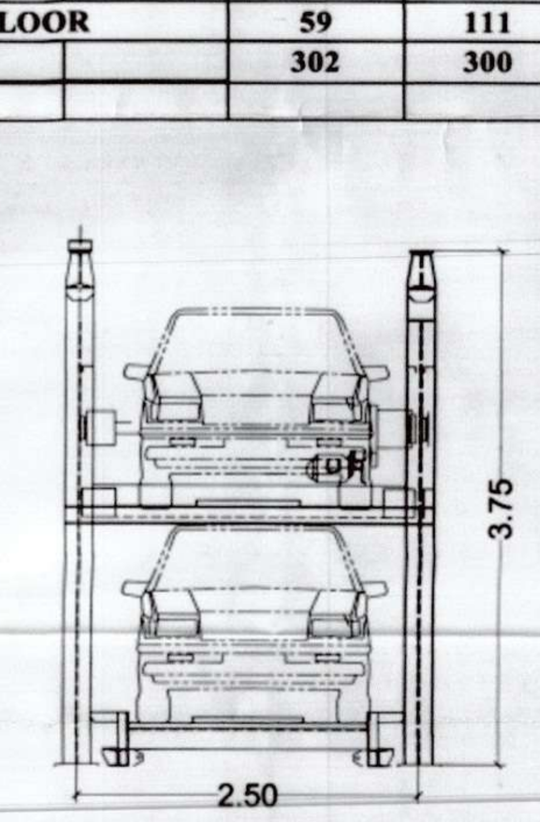

MECHANICAL CAR PARKING

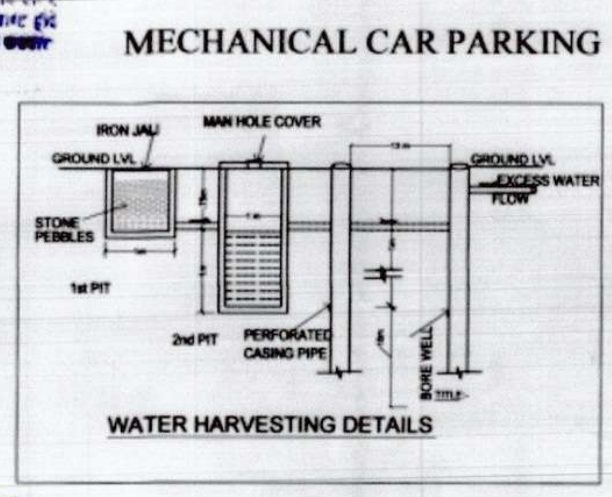

WATER HARVESTING DETAILS

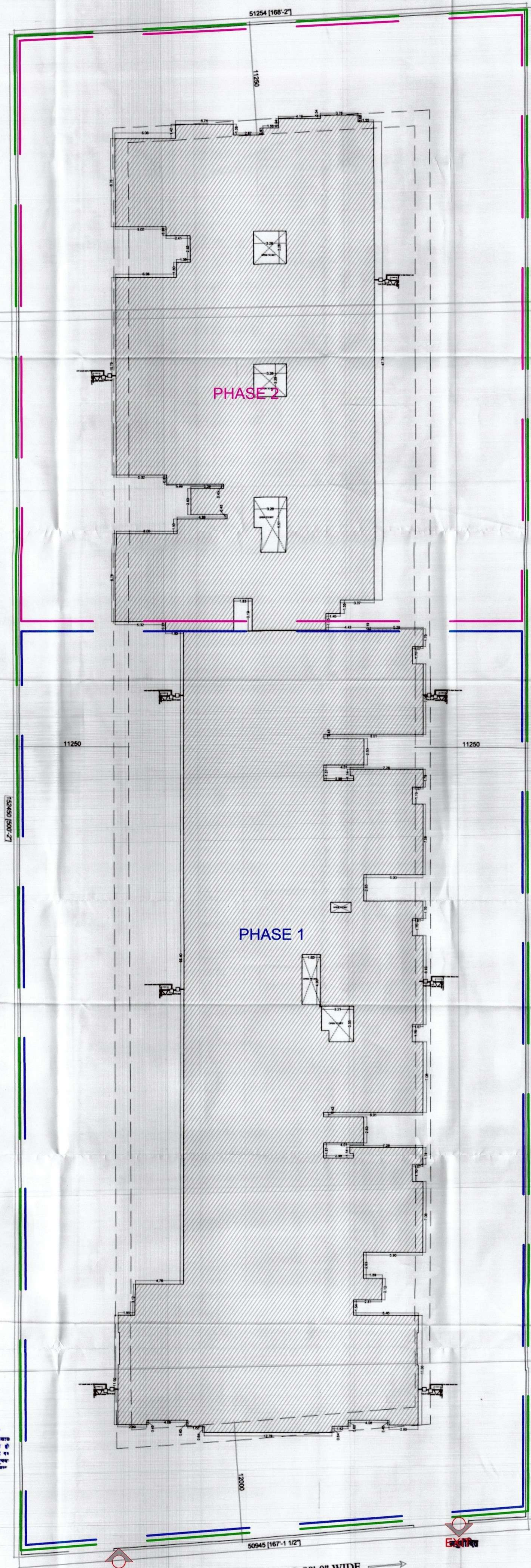

SECTOR ROAD 80'-0" WIDE

PLOT AREA - 7744.80 SQ. MTS.

PHASE 1
PHASE 2 AREA - 4630.64 SQ. MTS.
OPEN AREA - 1005.82 SQ. MTS.
G.B.U.A. - 29850.85 SQ. MTS.
NO. OF UNITS - 182 FLATS + 06 COMMERCIAL

PARKING	CARS	PUZZLE	visitor car	SCOOTERS
OPEN	15	0	6	0
STILT	15	0	0	0
1ST BASE.	80	22	0	50
2ND BASE.	0	0	0	0
TOTAL	110	22	06	50

PHASE 2
PHASE 2 AREA - 3114.16 SQ. MTS.
OPEN AREA - 878.67 SQ. MTS.
G.B.U.A. - 20262.06 SQ. MTS.
NO. OF UNITS - 112 FLATS

PARKING	CARS	visitor car	SCOOTERS
OPEN	08	08	0
STILT	27	0	61
1ST BASE.	62	0	78
2ND BASE.	38	21	111
TOTAL	135	29	250

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SITE PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 125

DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE, TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. - 3

TITLE:-
GROUND FLR PLAN
&
1ST FLR PLAN

TYPE	NO. OF FLATS
4 BHK	02
3 BHK	14
2 BHK	05
TOTAL	21

GROUND FLR PLAN
&
1ST FLR PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 125

DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. - 4

TITLE:-
TYPICAL FLR PLAN
(2nd TO 8th & 11th to14th)
TERRACE FLR PLAN

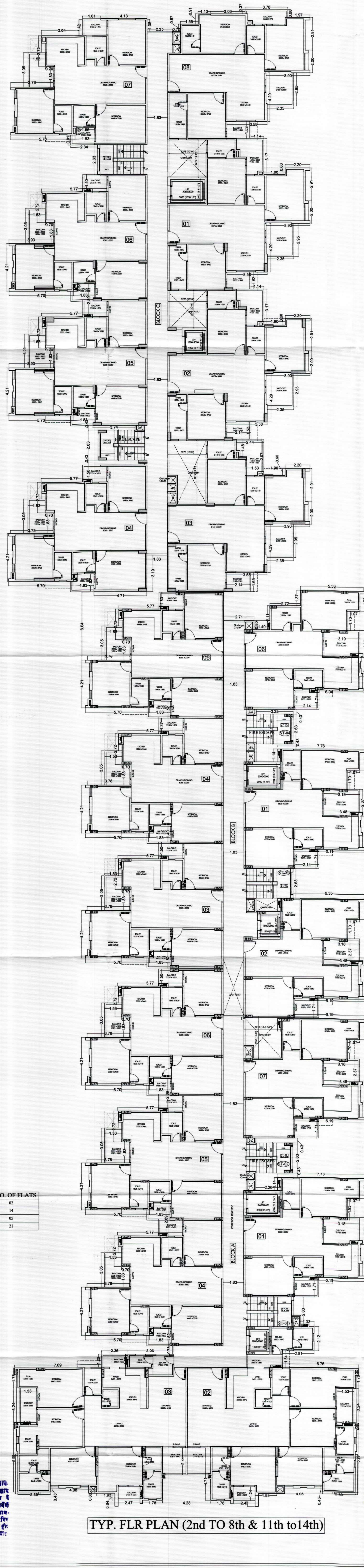

TYPE	NO. OF FLATS
4 BHK	02
3 BHK	14
2 BHK	05
TOTAL	21

TYP. FLR PLAN (2nd TO 8th & 11th to14th)

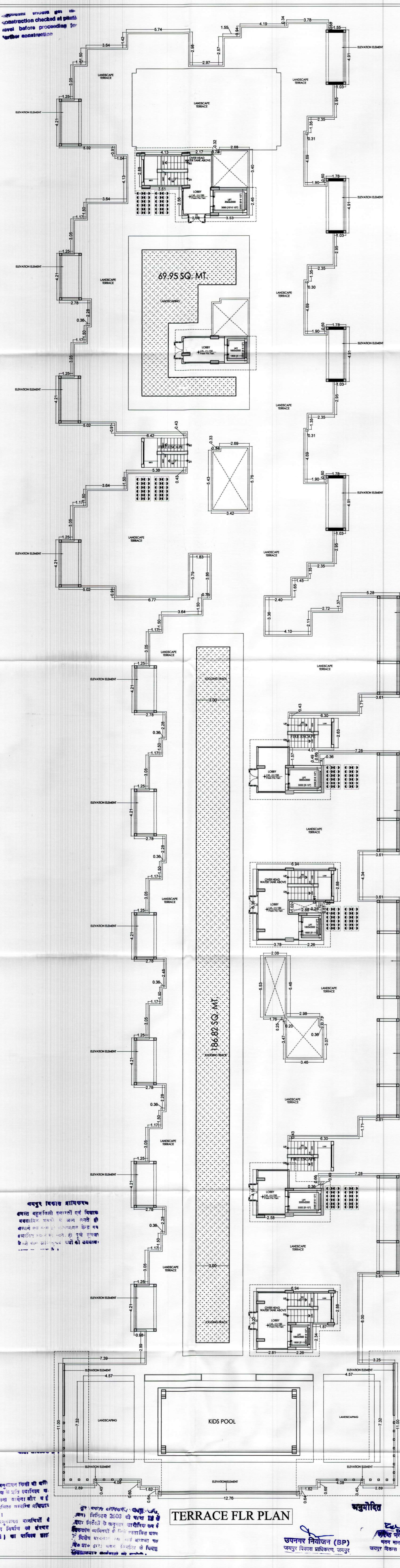

TERRACE FLR PLAN

TYPICAL FLR PLAN
(2nd TO 8th & 11th to14th)
TERRACE FLR PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 125

DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SHEET NO. - 5

TITLE:-
9TH & 10TH FLR PLAN

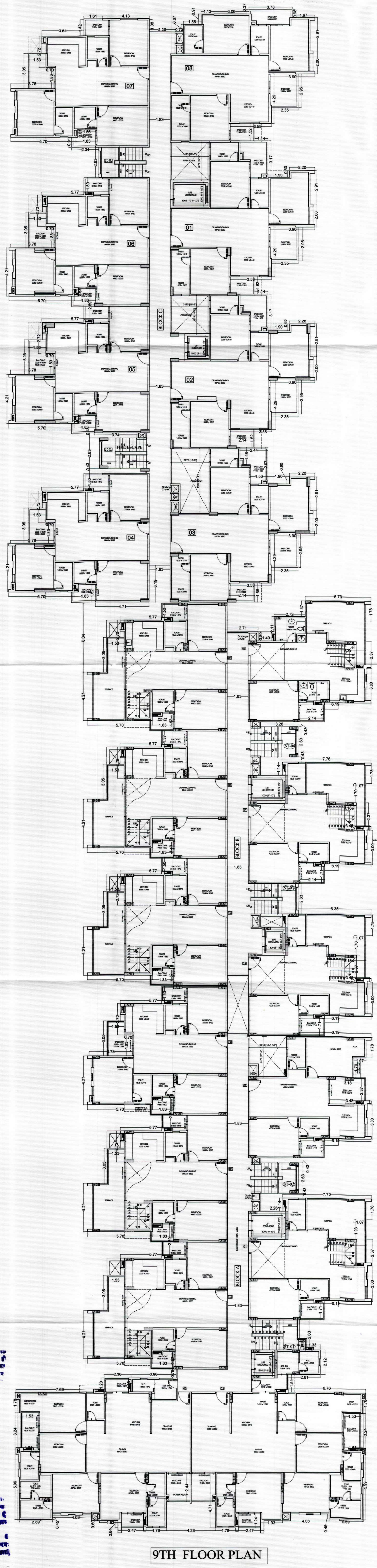

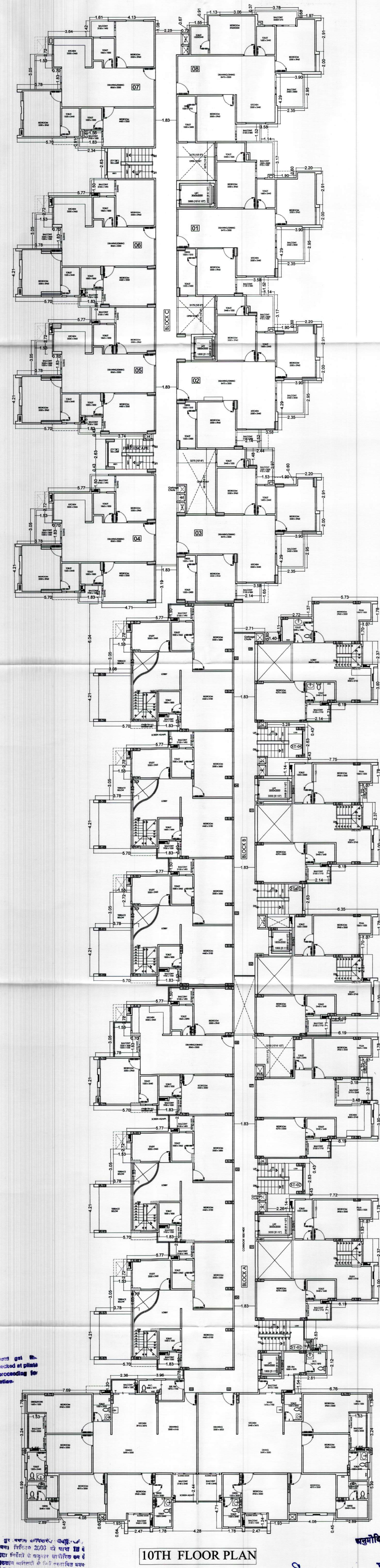

9TH & 10TH FLR PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 125

DATE : 18-01-2021

PROJECT:-
PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT
CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER
For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEFT SIDE ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

SHEET NO. - 6

TITLE:- ELEVATIONS

ELEVATIONS

NORTH :	SCALE : 1= 125
	DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN : ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN : OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

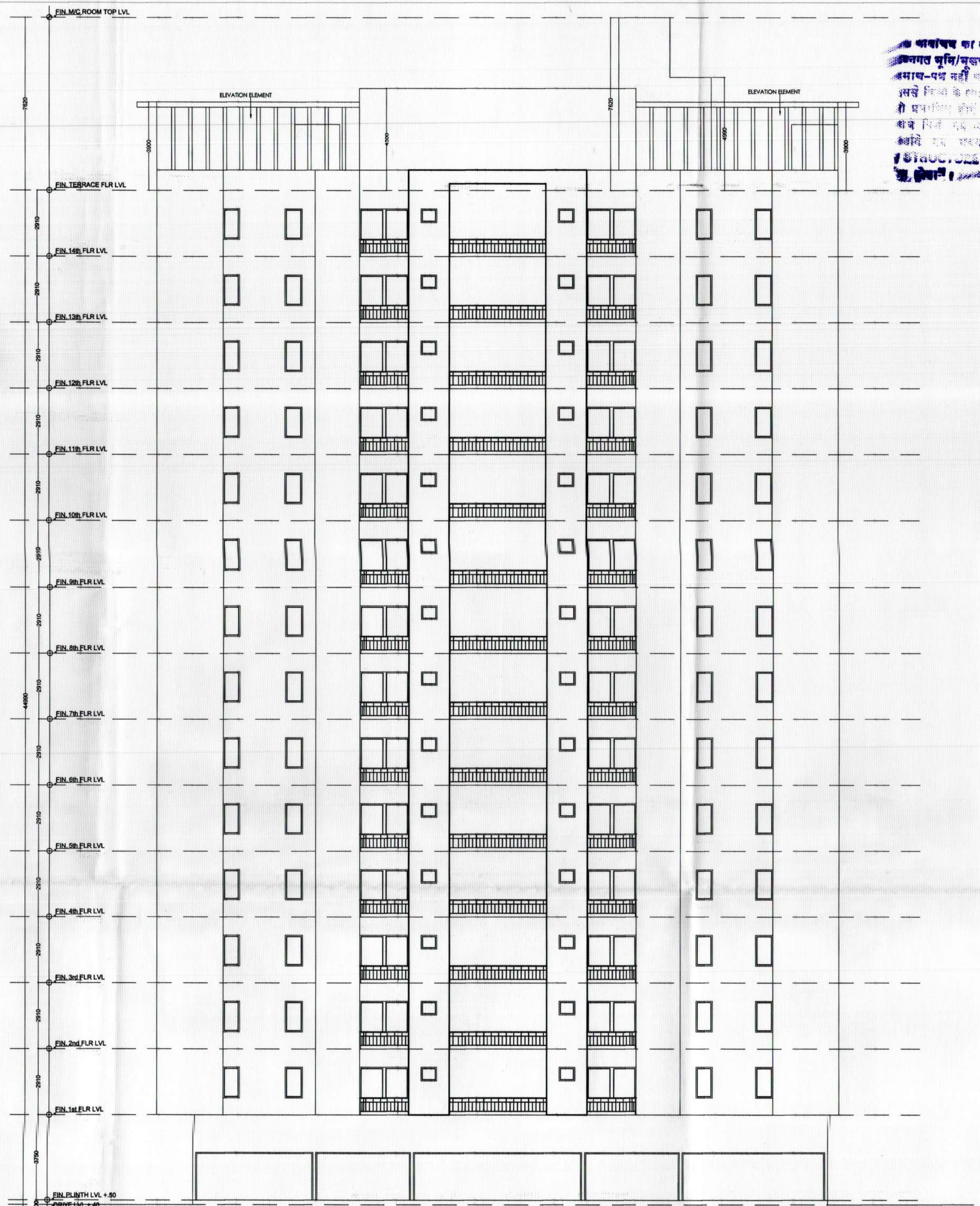

FRONT ELEVATION

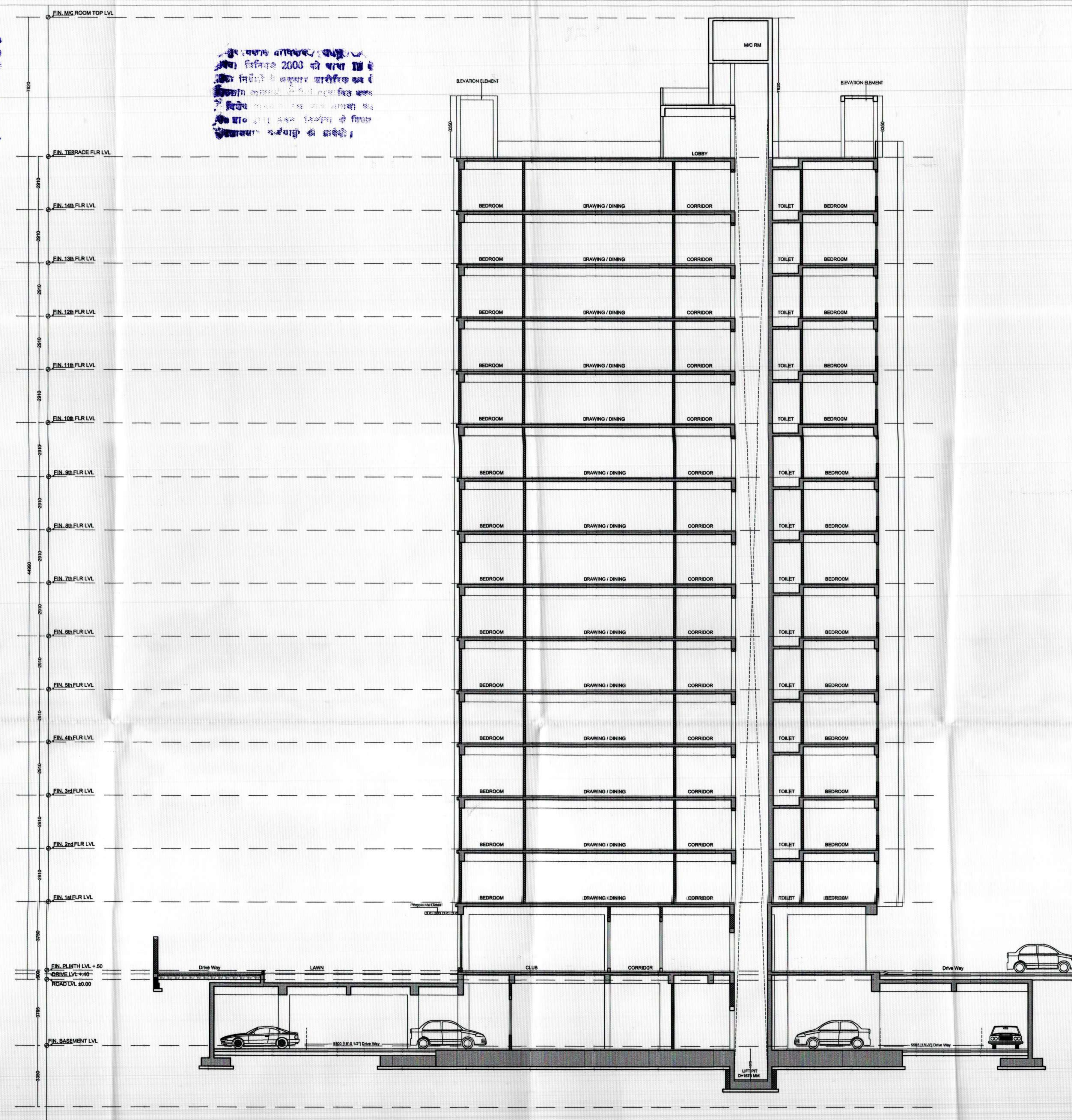

SECTION -A-A

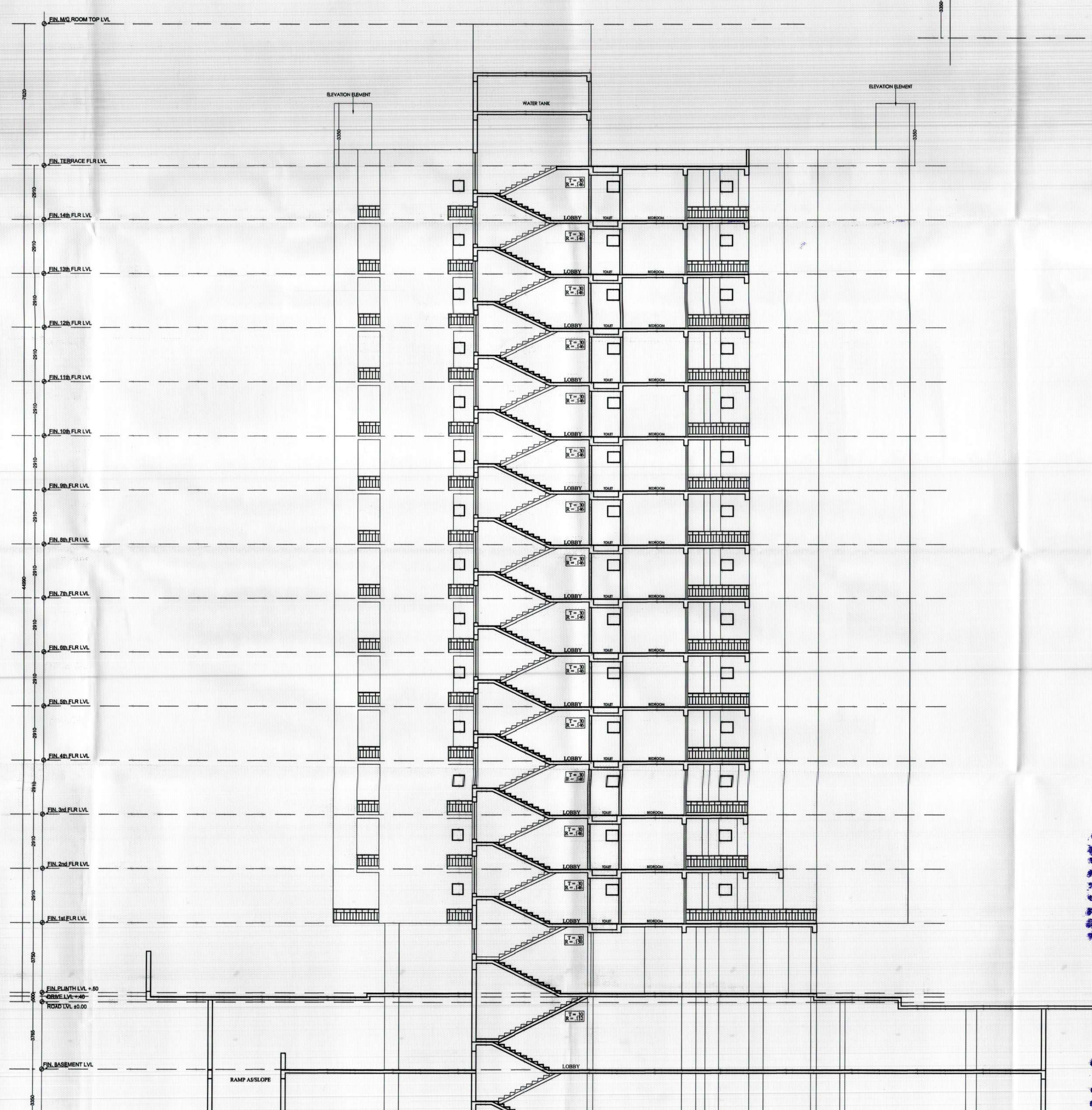

SECTION- BB'

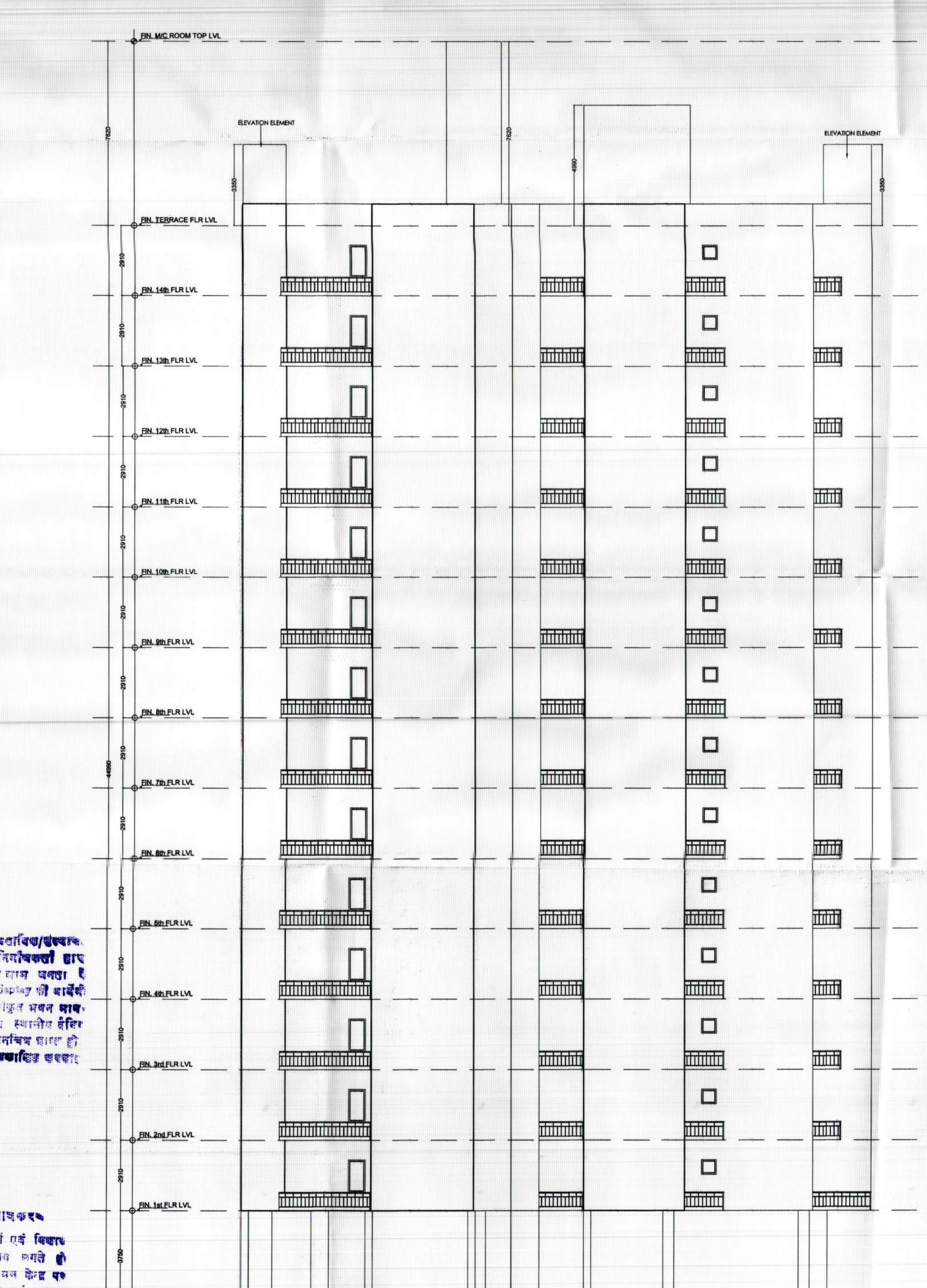

REAR ELEVATION

SHEET NO. - 7

TITLE:-
ELEVATIONS & SECTIONS

ELEVATIONS & SECTIONS

NORTH :	SCALE : 1= 125
	DATE : 18-01-2021

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING
AT KHASARA NO.- 183/329,231,233
VILLAGE KANAKPURA, JAIPUR

ARCHITECTS:-
ANOOP GUPTA & ASSOCIATES
ARCHITECTS & INTERIOR CONSULTANTS
91, VISHNU GARDEN COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE,
TONK ROAD, JAIPUR - 302029
TEL : 0141-2552948

SIGN :
ARCHITECT

CONSULTING ARCHITECT
ANOOP GUPTA
CA/2008/43898

SIGN :
OWNER

For VIRAT MURLI INFRA LLP
Partner

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT